



(प्रदेशन पत्र)

पत्र संख्या

/स०प्र०/ झाँसी/

/दिनांक

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

महोदय/ महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या के विरुद्ध आपके सहमति पत्र दिनांक के आधार पर दिनांक को लाट्री से झाँसी नगर की तालपुरा योजना में आपको भवन/ भूखण्ड संख्या नकद/ आधा नकद/ किश्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है।

- | | |
|--|---|
| (क) भूखण्ड का क्षेत्रफल | (ख) जमा पंजीकरण धनराशि रु० |
| भूमि मूल्य रु० | उक्त पर दिनांक से तक |
| भवन निर्माण लागत रु० | 6 प्रतिशत की दर से ब्याज रु० |
| भूखण्ड सहित भवन का मूल्य रु० | योग रु० |
| (ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि रु० | (च) विविध शुल्क |
| (घ) आधा/ नकद/ किश्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि रु० | 1. वार्षिक लीजरेंज रु० की दर से वर्षों के लीजरेंज रु० |
| 1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रु० | 2. बिलेख निष्पादन व्यय रु० |
| 2. प्रथम किश्त के साथ एक मुश्त / आधा नकद देय धनराशि रु० | 3. जल संयोजन व्यय रु० |
| 3. शेष धनराशि निकटतम रु० 100 के पूर्णांक में रु० | 4. अन्य रु० |
| 4. अवशेष मूल्य रु० पर प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गयी मासिक किश्तों में से प्रथम किश्त जो दिनांक से देय होगी रु० | 5. विविध शुल्कों का योग रु० |

नोट- 1. किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
2. न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

उपरोक्त विवरण के अंश (ग) अथवा (घ) में अंकित धनराशि पी.एन.बी. सीपरी बाजार, झाँसी में परिषद के खाते में तथा (च) की धनराशि आई.ओ.बी. सीपरी, झाँसी परिषद के खाते में दिनांक तक अवश्य जमा करनी होगी। आवंटी उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रु० का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते हैं उन्हें एक अन्य पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर नहीं जमा करते हैं तो निर्धारित वर्तमान पंजीकरण धनराशि रु० का 20 प्रतिशत के साथ-साथ आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति के कुल मूल्य पर प्रतिशत की दर से निरस्तीकरण की तिथि तक का अधिकतम 2 माह का ब्याज भी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

यदि किसी मामले में आवंटी द्वारा अतिरिक्त समय लिया जाता है अथवा अन्य पत्राचार में अधिक समय लगता है तो प्रदेशन पत्र की तिथि से निरस्तीकरण की तिथि तक पूर्ण अवधि का ब्याज तथा पंजीकरण की धनराशि के 20% की कटौती की जायेगी।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के कुल विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (30 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की तिथि में आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है। परिषद से मानचित्र स्वीकार कराकर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों पर निर्माण करने कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवधि प्रदेशन पत्र की निर्गत तिथि से क्रमशः वर्ष तथा वर्ष है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र एवं भुगतान की रसीद दिनांक तक इस कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रु० प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा करने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा होने पर रु० प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक का रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक के विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

नोट- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम-1979 (यथा संशोधित जून 1986, मूल्य 15/-) विक्रय हेतु समस्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है।

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी
कृते आवास, आयुक्त

आवंटी द्वारा दि० तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप से दाखिल करें।
2. पंजीकरण हेतु जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रतिमूल रूप में जमा करें।
3. रु० 100/- के दो सादा नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करें।
4. राजपत्रित अधिकारी से दो प्रतियों में फोटोग्राफ (परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर) प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
5. निम्नलिखित प्रारूप में 10/- का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

शपथ पत्र प्रारूप

समक्ष :- आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

मैं (नाम) पुत्र/पुत्री उम्र निवासी निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता हूँ

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा आवश्यक बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः नगर में नहीं है और उ०प्र० के किसी अन्य में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा आवश्यक बच्चों के नाम नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी/मेरे पत्नी/पति एवं आवश्यक बच्चों द्वारा उपनगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं कुल रु० से अधिक नहीं हैं। मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद न० 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।